मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 20)

[31 जुलाई, 2019]

विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने और उनके पतियों द्वारा तलाक की उद्घोषणा द्वारा विवाह-विच्छेद का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा।

(3) यह 19 सितंबर, 2018 को लागू हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं। **2.** इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''इलैक्ट्रोनिक रूप'' का वही अर्थ होगा, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) में उसका है; 2000 का 21

(ख) ''मजिस्ट्रेट'' से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उस क्षेत्र में, जहां विवाहित मुस्लिम महिला निवास करती है, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है; और 1974 का 2

(ग) ''तलाक'' से तलाक-ए-बिद्दत या तलाक का कोई अन्य वैसा ही रूप अभिप्रेत है, जो किसी मुस्लिम पति द्वारा उद्घोषित तुरंत और अप्रतिसंहरणीय विवाह-विच्छेद का प्रभाव रखने वाला है।

अध्याय 2

तलाक की घोषणा का शून्य और अवैध होना

तलाक का शून्य और अवैध होना। **3.** किसी मुस्लिम पति द्वारा उसकी पत्नी के लिए, शब्दों द्वारा, चाहे वे बोले गए हों या लिखे गए हों या इलैक्ट्रोनिक रूप में या किसी अन्य रीति में हों, वे जो भी हों, तलाक की कोई उद्घोषणा शून्य और अवैध होगी।

तलाक की उद्घोषणा करने के लिए दंड। **4.** कोई मुस्लिम पति, जो अपनी पत्नी के लिए धारा 3 में निर्दिष्ट तलाक की उद्घोषणा करता है, वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

अध्याय 3

विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा

निर्वाह भत्ता। **5.** तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई ऐसी विवाहित मुस्लिम महिला, जिसके लिए तलाक की उद्घोषणा की गई है, अपने पति से स्वयं के लिए और आश्रित संतानों के लिए निर्वाह भत्ते की ऐसी रकम को प्राप्त करने के लिए हकदार होगी, जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित किया जाए।

अवयस्क संतानों की अभिरक्षा। **6.** तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई विवाहित मुस्लिम महिला, उसके पति द्वारा तलाक की उद्घोषणा किए जाने की दशा में, ऐसी रीति में, जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित की जाए, अपनी अवयस्क संतानों की अभिरक्षा के लिए हकदार होगी।

अपराध का संज्ञेय, शमनीय, आदि होना। **7.** दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी,— 1974 का 2

(क) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध तब संज्ञेय होगा, यदि अपराध के किए जाने से संबंधित इत्तिला किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को उस विवाहित मुस्लिम महिला, जिसके लिए तलाक की उद्घोषणा की गई है या उससे रक्त या विवाह द्वारा संबंधित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाती है;

(ख) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध उस विवाहित मुस्लिम महिला के आवेदन पर, जिसके लिए तलाक की उद्घोषणा की गई है, मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा से ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो मजिस्ट्रेट अवधारित करे, शमनीय होगा;

(ग) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर तक छोड़ा नहीं जाएगा, जब तक अभियुक्त द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर और उस विवाहित मुस्लिम महिला, जिसके लिए तलाक की उद्घोषणा की गई है, की सुनवाई करने के पश्चात् मजिस्ट्रेट का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं।

निरसन और व्यावृत्तियां। **8.** (1) मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) दूसरा अध्यादेश, 2019 का निरसन किया जाता है। 2019 का अध्यादेश सं॰ 4

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) दूसरा अध्यादेश, 2019 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। 2019 का अध्यादेश सं॰ 4

———————